

**झारखंड के उच्च न्यायालय रांची में**

**आपराधिक अपील संख्या 1689/2017 (खंडपीठ)**

(जी. आर. संख्या 938/2011 के अनुरूप केरेदारी पी. एस. मामले संख्या 15/2011 के संबंध में सत्र परीक्षण संख्या 415/2011 में विद्वान जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IX, हजारीबाग द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश के विरुद्ध)

संजय साव, छठू साव का बेटा, गाँव-पहरा, थाना-केरादारी, जिला हजारीबाग का निवासी  
याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

विरोधी पक्ष

**आपराधिक अपील संख्या 1373/2016 (खंडपीठ)**

1. छठू साव की पत्नी गीता देवी

2. स्वर्गीय लालधारी साव के पुत्र छठू साव दोनों गाँव पहरा, डाकघर एवं थाना- केरेदारी, जिला हजारीबाग के निवासी  
याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

विरोधी पक्ष

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

अपीलार्थी के लिए: श्रीमती नलिनी झा, अधिवक्ता

[आपराधिक अपील संख्या 1689/2017 (खंडपीठ)]

श्री हेमंत कुमार शिकारवार, अधिवक्ता

श्री पवन के. सिंह, अधिवक्ता

श्री अमनदीप, अधिवक्ता

श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता

[आपराधिक अपील संख्या 1373/2016 (खंडपीठ)]

उत्तरदाता-राज्य के लिए: श्री सरधू महतो, एपीपी

[2017 का आपराधिक अपील संख्या 1689 (खंडपीठ)]

श्री पंकज के. मिश्रा, एपीपी

[आपराधिक अपील संख्या 1373/2016 (खंडपीठ)]

**31.01.2024 को सी. ए. वी./आरक्षित**

**20/02/2024 को फैसला सुनाया गया**

**न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के अनुसार:**

1. दोनों अपील तब से दोषसिद्धि और सजा के सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार, समान सुनवाई के लिए एक साथ सूचीबद्ध होने का निर्देश दिया जाता है और इसके द्वारा सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जाता है।
2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत इन दोनों अपीलों को जी. आर. संख्या. 938/2011 के अनुरूप केरेदारी पी. एस. मामले No.15/2011 के संबंध में सत्र परीक्षण संख्या 415/2011 में विद्वान जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IX, हजारीबाग द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के 03.10.2016 के आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है, जिसके द्वारा और जिसके तहत, अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 304 (बी)/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दस साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और आई. पी. सी. की धारा 201/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए रु. 20,000/- के जुर्माने के साथ तीन साल के लिए कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है और जुर्माने का भुगतान करने में चूक करने पर उन्हें तीन महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया है।
3. इसमें यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1689/2017 के अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उक्त अपील के अपीलार्थी ने उसे दी गई सजा पूरी कर ली है, लेकिन फिर भी, वह योग्यता के आधार पर इस अपील को दबाना चाहता है।

4. आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1689/2017 मृतक के पति संजय साओ की ओर से दायर की गई है, जबकि आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1373/2016 मृतक की सास, गीता देवी और मृतक के ससुर, चथु साव की ओर से दायर की गई है।
5. आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1689/2017 का तर्क अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील श्रीमती नलिनी झा और प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सरधु महतो ने दिया है। जबकि आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1373/2016 पर अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील श्री हेमंत के. आर. शिकरवार ने और प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री पंकज के. मिश्रा तर्क दिया है।
6. अभियोजन पक्ष की संक्षिप्त कहानी, जिसका यहाँ उल्लेख किया जाना आवश्यक है, निम्नानुसार है:

सूचना देने वाली की बेटी संगीता देवी का विवाह हजारीबाग के गाँव पहरा पी. एस. केरेदारी जिले के निवासी संजय साओ से 08.03.2011 को हुआ था। शादी के समय, संजय साव को Rs.60,000/- की नकद राशि और रु.50,000/- मूल्य की अन्य वस्तुएँ दी गई थीं। संगीता देवी के ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग करते थे। सूचना देने वाले की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मोटरसाइकिल नहीं दी जा सकी। 10.04.2011 को मुखबिर का दामाद संजय साओ तेलियाडीह पहुँचा और कहा कि उसकी बेटी रात में एक लड़के के साथ भाग गई है। मुखबिर ने अपनी बेटी का पता लगाने की कोशिश की लेकिन उसका पता नहीं चल सका। 14.04.2011 की शाम को लगभग 5 बजे गाँव पहरा के ग्रामीणों ने उन्हें सूचित किया कि उनकी बेटी का शव पहरा के एक कुएं में पड़ा है। यह जानकारी मिलने पर वह अन्य ग्रामीणों के साथ वहाँ पहुंचे। उन्हें चाथू साओ के घर के सामने शव मिला। आरोप है कि संजय साव, चाथू साव और गीता देवी ने उनकी बेटी की हत्या की है।
7. दोनों अपीलों के अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने विवादित फैसले को लागू करने में निम्नलिखित आधार लिए हैं:
  - (i) यह एक ऐसा मामला है जिसमें दोषसिद्धि का निर्णय किसी चश्मदीद गवाह पर आधारित नहीं है क्योंकि किसी ने भी मृतक, अर्थात् संगीता देवी की हत्या के अपराध को नहीं देखा है।
  - (ii) मृतक की कुएं में डूबने से मृत्यु हो गई थी और जब वह बेसहारा थी तो उसी दिन तुरंत उसके माता-पिता के घर पर इसकी सूचना दी गई है और इसलिए, यह अपीलार्थियों, विशेष रूप से पति, दंड प्रक्रिया के अपीलार्थी के आचरण से स्पष्ट है।

आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1689/2017 में कहा गया है कि मृतक, जो उसकी पत्नी है, के अपराध या हत्या में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है।

(iii) विवादित फैसले में गंभीर कमी है क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 (बी) के तहत वैधानिक आदेश को लागू करने के आधार पर, दोषसिद्धि का फैसला पारित किया गया है।

8. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने, उपरोक्त आधारों के आधार पर, संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है कि दोषसिद्धि का निर्णय पूरी तरह से कानूनी प्रस्ताव पर आधारित नहीं है और इसलिए, कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।
9. इसके विपरीत, श्री सरधू महतो ने अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में प्रतिवादी-राज्य की ओर से आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1689/2017 और श्री पंकज के. मिश्रा, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रतिवादी की ओर से आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1373/2016 संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है कि चूँकि मृत्यु उस समय हुई है जब मृतक उस वैवाहिक घर में थी जहाँ से वह लापता हो गई थी, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 (बी) अच्छी तरह से लागू होगी और यदि उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू पर विचार करने पर विद्वान न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 (बी) की प्रयोज्यता को ध्यान में रखा है, तो इसे किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।
10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 (बी) के प्रावधान का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया गया है जिसमें अभियुक्त पर मृत्यु का कारण देने के लिए रिवर्स ऑनस के माध्यम से प्रावधान किया गया है क्योंकि मृत्यु दहेज की मांग के कारण हुई है जबकि मृतक वैवाहिक घर में था और इसलिए ऐसे मामले में, एक चश्मदीद गवाह की कोई संभावना नहीं है और मामले के उस दृष्टिकोण में, धारा 113 (बी) का प्रावधान बनाया गया है ताकि यदि दहेज मृत्यु वैवाहिक घर में होगी, तो यह आरोपी व्यक्ति, जिसके घर में मृत्यु हुई है, का बाध्य कर्तव्य मृत्यु के कारण का खुलासा करना है।
11. लेकिन, इसमें, अपीलार्थी यह खुलासा करने में विफल रहे हैं कि मृत्यु किस कारण से हुई है और मृतक कुएं में क्यों पाया गया और गुमशुदगी की रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष क्यों दर्ज नहीं की गई, भले ही मृतक दंड प्रक्रिया के अपीलार्थी की पत्नी के साथ हुआ हो। 2017 की अपील (डी. बी.) सं. 1689, इसलिए, यदि ऐसी परिस्थितियों में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में धारा 113 (बी) का प्रावधान लागू किया गया है, तो इसे त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

12. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के साथ-साथ एल. सी. आर. और विवादित आदेश में विद्वान निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का भी अध्ययन किया है।
13. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस न्यायालय को निम्नलिखित मुद्दों का उत्तर देना आवश्यक है:
- (i) चाहे गवाही के आधार पर हो, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 (बी) उस मामले में लागू होगी जहां मृत्यु वैवाहिक घर में हुई है और शव उस कुएं में पाया गया है जो घर के ठीक बगल में है।
  - (ii) क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 (बी) और भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 304-बी की प्रयोज्यता के आधार पर दोषसिद्धि के निर्णय को चश्मदीद गवाह की अनुपस्थिति में उचित कहा जा सकता है क्योंकि यह मुद्दा यहां उठाया गया है।
14. यह न्यायालय, दोनों मुद्दों का उत्तर देने के लिए, आई. पी. सी. (भारतीय दंड संहिता) की धारा 304-बी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के प्रावधान को संदर्भित करना उचित और उचित समझता है जो निम्नानुसार हैं:
- "113-बी। दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान-जब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु को अंजाम दिया है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, तो न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु का कारण बना था। स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए, 'दहेज मृत्यु' का वही अर्थ होगा जो दंड संहिता, 1860 की धारा 304-बी में है।"*
15. 15. उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि जब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, तो अदालत यह मान लेगी कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या की थी।
16. 16. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि दंड संहिता, 1860 में "दहेज मृत्यु" को 1986 के अधिनियम 43 के अनुसार धारा 304-बी के तहत पेश किया गया था:

"304-बी। दहेज मृत्यु-(1) जहां किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, तो ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण-इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई भी दहेज हत्या करता है, उसे सात साल से कम की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है।

17. उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि किसी विवाहित महिला की मृत्यु हो जाती है,
- (i) जलने या शारीरिक चोट के कारण या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न मृत्यु हो जाती है,
  - (ii) ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर होती है,
  - (iii) यह दिखाया जाता है कि वह अपने पति या किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार हुई थी।
  - (iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु से तुरंत पहले हो, और
  - (v) पति या उसके रिश्तेदार द्वारा ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में हो, ऐसी मृत्यु को आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत "दहेज मृत्यु" कहा जाता है और पति या रिश्तेदार को दहेज मृत्यु का कारण माना जाएगा।

18. इस मोड़ पर आई. पी. सी. की धारा 498-ए के आवेदन को भी यहां संदर्भित करने की आवश्यकता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि किसी विवाहित महिला को पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया जाता है, तो वह धारा 498-ए के तहत दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी है। धारा 498-ए के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि क्रूरता शादी के सात साल

के भीतर होनी चाहिए। धारा 498-ए के तहत यह भी अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है कि क्रूरता दहेज की मांग के संबंध में होनी चाहिए। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि धारा 498-ए को 1983 के अधिनियम 46 के अनुसार "न केवल दहेज मृत्यु के मामलों से, बल्कि विवाहित महिलाओं के साथ उनके ससुराल वालों द्वारा क्रूरता के मामलों से भी प्रभावी ढंग से निपटने के लिए" पेश किया गया था और धारा 304-बी को दंडात्मक प्रावधानों को "अधिक कठोर और प्रभावी" बनाने के लिए 1986 के अधिनियम 43 के अनुसार पेश किया गया था।

19. आई. पी. सी. की धारा 304-बी के आधार पर यह स्पष्ट है कि हालांकि "कल्पित" अभिव्यक्ति का उपयोग आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत नहीं किया गया है, लेकिन धारा 304-बी के तहत "समझा जाएगा" शब्द का शाब्दिक और कानून के तहत वही अर्थ है क्योंकि इरादे और संदर्भ में इस तरह के आरोपण की आवश्यकता होती है। दहेज मृत्यु पर आई. पी. सी. की धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-बी, अनुमान पर, उसी अधिनियम यानी 1986 के अधिनियम 43 द्वारा 19-11-1986 से लागू किया गया था, और आई. पी. सी. की धारा 498-ए और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए को 1983 के अधिनियम 46 द्वारा 25-12-1983 से लागू किया गया था।
20. साक्ष्य अधिनियम के तहत संशोधन केवल दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और दंड संहिता, 1860 के तहत संशोधनों के परिणामस्वरूप हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 113-ए के तहत, अभिव्यक्ति "अदालत मान सकती है" जबकि धारा 113-बी के तहत, अभिव्यक्ति "अदालत मान लेगी" है। संसद ने बढ़ती सामाजिक बुराई को देखते हुए प्रावधानों को अधिक कठोर और प्रभावी बनाने का इरादा किया, जैसा कि संशोधन अधिनियम में उद्देश्यों और कारणों के विवरण से देखा जा सकता है।
21. धारा 304-बी के तहत एक आरोपी के दोषी आचरण पर एक अनिवार्य धारणा होने के कारण, यह अभियोजन पक्ष पर है कि वह पहले अपराध के सभी घटकों की उपलब्धता दिखाए ताकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के संदर्भ में सबूत का बोझ स्थानांतरित किया जा सके। एक बार जब सभी सामग्री मौजूद हो जाती हैं, तो निर्दोषता की धारणा दूर हो जाती है।
22. साक्ष्य अधिनियम की धारा 304-बी आई. पी. सी./113-बी. के तहत कानून के अनिवार्य अनुमान को देखते हुए, अभियोजन पक्ष की ओर से यह स्थापित करना अनिवार्य है कि मृत्यु विवाह के सात साल के भीतर हुई थी। आई. पी. सी. की धारा 304-बी केवल तथ्यों के दिए गए समूह में कानून के अनुमान की अनुमति देती है न कि तथ्य के अनुमान की। तथ्य को साबित करना है और तभी कानून अनुमान लगाएगा।

23. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आई. पी. सी. की धारा 304-बी (1) एक महिला की "दहेज मृत्यु" को परिभाषित करती है। इसमें प्रावधान किया गया है कि "दहेज मृत्यु" वह है जहां शादी के सात वर्षों के भीतर किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोटों के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में होती है, और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, उसे दहेज की मांग के संबंध में उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा, आई. पी. सी. की धारा 304-बी (2) उपरोक्त अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है।
24. अगला महत्वपूर्ण घटक जिसे स्थापित करने की आवश्यकता है, वह है "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" दहेज की मांग का अस्तित्व। इस न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में कहा है कि "जल्द ही पहले" की व्याख्या "तुरंत पहले" के रूप में नहीं की जा सकती है, बल्कि अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि क्रूरता और पीड़ित की परिणामी मृत्यु के बीच एक "निकट और जीवित संबंध" मौजूद है।
25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2021) 6 एस. सी. सी. 1** के हालिया फैसले में आई. पी. सी. की धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत कानून का सारांश दिया, जो इस प्रकार है:

*"38.1 आई. पी. सी. की धारा 304-बी की व्याख्या दुल्हन को जलाने और दहेज की मांग की सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने के विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।*

*38.2 अभियोजन पक्ष को सबसे पहले आई. पी. सी. की धारा 304-बी के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री के अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए। एक बार जब ये तत्व संतुष्ट हो जाते हैं, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत प्रदान की गई कार्य-कारण की खंडन योग्य धारणा अभियुक्त के खिलाफ काम करती है।*

*38.3 आई. पी. सी. की धारा 304-बी में "जल्द ही पहले" वाक्यांश का अर्थ "तुरंत पहले" नहीं माना जा सकता है। अभियोजन पक्ष को दहेज हत्या और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न के बीच "निकट और जीवित संबंध" का अस्तित्व स्थापित करना चाहिए।*

*38.4 आई. पी. सी. की धारा 304-बी मृत्यु को हत्या या आत्महत्या या आकस्मिक के रूप में वर्गीकृत करने में कबूतर छेद दृष्टिकोण नहीं लेती है। इस तरह के गैर-वर्गीकरण का कारण इस तथ्य के कारण है कि "सामान्य*



परिस्थितियों के अलावा" होने वाली मृत्यु, मामलों में, हत्या या आत्महत्या या आकस्मिक हो सकती है।

38. 5 साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 304-बी की अनिश्चित प्रकृति के कारण, न्यायाधीशों, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को मुकदमे के संचालन के दौरान सावधान रहना चाहिए।

38. 6 यह गंभीर चिंता का विषय है कि, अक्सर, निचली अदालतें आरोपी से उसके बचाव के बारे में विशेष रूप से सवाल किए बिना, बहुत ही अनौपचारिक और सरसरी तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करती हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत किसी आरोपी की जांच को केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकता के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह निष्पक्षता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित है। इस उपरोक्त प्रावधान में प्राकृतिक न्याय "दूसरे पक्ष को सुने जाने " के मूल्यवान सिद्धांत को शामिल किया गया है क्योंकि यह अभियुक्त को उसके खिलाफ पेश होने वाली आपत्तिजनक सामग्री के लिए स्पष्टीकरण देने में सक्षम बनाता है। इसलिए, यह अदालत पर एक दायित्व लगाता है कि वह सावधानी और सावधानी के साथ आरोपी से निष्पक्ष रूप से पूछताछ करे।

38. 7 अदालत को अभियुक्त के सामने दोषपूर्ण परिस्थितियों को रखना चाहिए और उसका जवाब मांगना चाहिए। अभियुक्त के वकील पर यह भी कर्तव्य डाला गया है कि वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 304-बी की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए मुकदमे की शुरुआत से ही उचित सावधानी के साथ अपना बचाव तैयार करे। 38. 8. धारा 232 सी. आर. पी. सी. में प्रावधान है कि,

'232 बरी करना-यदि अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य लेने, अभियुक्त की जांच करने और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को इस मुद्दे पर सुनने के बाद, न्यायाधीश यह मानता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश बरी करने का आदेश दर्ज करेगा।

'ऐसे विवेकाधिकार का उपयोग निचली अदालतों द्वारा सर्वोत्तम प्रयासों के दायित्व के रूप में किया जाना चाहिए।

38. 9 एक बार जब निचली अदालत यह निर्णय ले लेती है कि आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के प्रावधानों के अनुसार बरी होने का पात्र नहीं है, तो

उसे आगे बढ़ना चाहिए और विशेष रूप से "बचाव साक्ष्य" के लिए सुनवाई तय करनी चाहिए, जिसमें आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए, जो कि आरोपी को प्रदान किया गया एक अमूल्य अधिकार भी है।

38.10 इसी तरह, निचली अदालतों को त्वरित सुनवाई के अधिकार जैसे अन्य महत्वपूर्ण विचारों को संतुलित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, हम सावधान कर सकते हैं कि उपरोक्त प्रावधानों को देरी की रणनीति के रूप में दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

38.11 उपरोक्त के अलावा, पीठासीन न्यायाधीश को सजा सुनाते समय और उचित सजा देते समय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

38.12 निस्संदेह, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, दहेज हत्या का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। हालाँकि, यह भी देखा गया है कि कभी-कभी पति के परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाता है, भले ही उनकी अपराध करने में कोई सक्रिय भूमिका न हो और वे दूर-दराज के स्थानों पर रह रहे हों। इन मामलों में अदालत को अपने दृष्टिकोण में सतर्क रहने की आवश्यकता है।"

26. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 304-बी और संज्ञानात्मक प्रावधान दहेज की सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए हैं जो भारतीय समाज के लिए अभिशाप रही है और महिलाओं की मुक्ति और महिला मुक्ति आंदोलन के बावजूद बेरोकटोक जारी है। हमारे समाज में इस सर्वव्यापी बीमारी में शिक्षा और करियर के लिए लड़कों और लड़कियों के साथ समान व्यवहार और अवसर के बावजूद केवल कुछ भाग्यशाली अपवाद हैं। समाज विवाह के उद्देश्य से उनके बीच के अंतर को कायम रखता है और यही अंतर है जो दहेज प्रणाली को फलता-फूलता है। भले ही इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए समाज द्वारा ही प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं और समुदाय के सामाजिक प्रतिबंध अधिक निवारक हो सकते हैं, फिर भी इसके निषेध और सजा के रूप में कानूनी प्रतिबंध उस दिशा में कुछ कदम हैं।

27. तत्काल मामले के तथ्यों पर ध्यान देने से पहले और उपरोक्त मुद्दे को निर्धारित करने के लिए यह न्यायालय उपरोक्त चर्चा की गई कानूनी स्थिति का सारांश देना उचित समझता है। यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के तहत दंडनीय दहेज मृत्यु का अपराध दंड संहिता, 1860 में 19 नवंबर, 1986 से प्रभावी है जब 1986 का अधिनियम 43 लागू हुआ था। धारा 304-बी के

तहत अपराध न्यूनतम सात साल की सजा के साथ दंडनीय है जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किए गए संबंधित संशोधन मुकदमे और अपराध के प्रमाण से संबंधित हैं। आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम 46) द्वारा दंड संहिता, 1860 में अंतःस्थापित धारा 498-ए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य अपराध है और जुर्माने के अलावा तीन साल तक के कारावास से दंडनीय है। धारा 304-बी के तहत दंडनीय अपराध, जिसे दहेज मृत्यु के रूप में जाना जाता है।

28. साक्ष्य अधिनियम की मूल धारा 304 बी, आई. पी. सी. और धारा 113 बी में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले' निकटता पाठ के विचार के साथ मौजूद है। कोई निश्चित अवधि का संकेत नहीं दिया गया है और 'उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले' अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, 'जल्द ही पहले' अवधि के भीतर आने वाली अवधि का निर्धारण अदालतों द्वारा निर्धारित किया जाना बाकी है। हालाँकि, यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि 'जल्द ही पहले' अभिव्यक्ति का अर्थ सामान्य रूप से यह होगा कि संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और विचाराधीन मृत्यु के बीच का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। दहेज की माँग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच एक निकट और जीवंत संबंध होना चाहिए।
29. यहां यह ध्यान देना उचित है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार कानून की स्थिति बहुत स्पष्ट है जिसमें आरोप को संदेह की छाया से परे साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जहां कथित अपराध का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और आरोपी को उन परिस्थितियों की व्याख्या करनी होती है जिनमें मृत्यु हुई थी, तो अपराध को गलत साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाएगी।
30. उपरोक्त संदर्भ में, इसमें यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा 106 के तहत निहित प्रावधान को देखते हुए अपराध को गलत साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त व्यक्तियों पर है, जो निम्नानुसार है:

*"106. तथ्य को साबित करने का बोझ विशेष रूप से ज्ञान के भीतर-जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का बोझ उस पर होता है।"*

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जोशींदर यादव बनाम बिहार राज्य (2014) 4 एस. सी. सी. 42 में दिए गए निर्णय में, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान के निहितार्थ पर विचार करते हुए अनुच्छेद 16,17,18 में दिया गया था, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"16. हमारी राय में, अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित किया कि अभियुक्त ने मृतक के साथ क्रूरता का व्यवहार किया और दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया, अभियुक्त को उन तथ्यों का खुलासा करना चाहिए था जो उनकी व्यक्तिगत और विशेष जानकारी में थे ताकि अभियोजन पक्ष के मामले को गलत साबित किया जा सके कि उन्होंने बिंदुला देवी की हत्या की थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 ऐसी स्थिति को शामिल करती है। जो बोझ अभियुक्तों पर चला गया था, उसे उन्होंने नहीं छोड़ा। इस संबंध में, हम उपयोगी रूप से शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य [शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य, ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 404:1956 सी. आर. आई. एल. जे. 794] मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें इस न्यायालय ने बताया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 और धारा 106 कैसे काम करती हैं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: (ए. आई. आर. पी. 406, पैरा 10-11)

"10. धारा 106 धारा 101 का अपवाद है। धारा 101 प्रमाण के भार के बारे में सामान्य नियम निर्धारित करती है।" 101 सबूत का बोझ-जो कोई भी किसी भी अदालत से तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर किसी भी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय देने की इच्छा रखता है, जिसके बारे में वह दावा करता है, उसे यह साबित करना होगा कि वे तथ्य मौजूद हैं। ए को यह साबित करना होगा कि बी ने अपराध किया है।

यह सामान्य नियम निर्धारित करता है कि किसी आपराधिक मामले में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और धारा 106 का उद्देश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है। इसके विपरीत, यह कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए बनाया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए ऐसे तथ्यों को स्थापित करना असंभव होगा, या किसी भी तरह से असमान रूप से कठिन होगा जो विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है।"

17. बलराम प्रसाद अग्रवाल बनाम बिहार राज्य [(1997) 9 एस. सी. सी. 338] मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपी यानी उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों के क्रूर आचरण और मृतक द्वारा उनके हाथों झेली गई पीड़ा को स्थापित किया था। अभियुक्त के असहनीय आचरण के परिणामस्वरूप अंततः अभियुक्त के घर के आंगन में कुएं में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इस अदालत ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण रात को क्या हुआ और मृतक के कुएं में गिरने का कारण क्या था, यह पूरी तरह से आरोपी की व्यक्तिगत और विशेष जानकारी में था। लेकिन उन्होंने इस पहलू पर मां को बनाए रखा। इस न्यायालय ने कहा कि यह सच है कि मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। लेकिन एक बार जब अभियोजन पक्ष यह साबित कर देता है कि आरोपी मृतक के पिता की अडिग गवाही से अच्छी तरह से स्थापित किए गए वर्षों से लगातार क्रूरता के आचरण के दोषी थे, तो उन तथ्यों का खुलासा किया जा सकता था जो अभियुक्तों की व्यक्तिगत जानकारी में थे जो उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को घर में मौजूद थे ताकि अभियोजन पक्ष के मामले को गलत साबित किया जा सके। इस न्यायालय ने कहा कि अभियुक्तों ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उन पर स्थानांतरित किए गए बोझ का निर्वहन नहीं किया था। इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय, इस न्यायालय ने शंभू नाथ मेहरा [शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य, ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 404] पर भरोसा किया।

18. वर्तमान मामले में, मृतक स्वीकार्य रूप से आरोपी की हिरासत में था। वह उनके घर से गायब हो गई। उनका शव नदी में कैसे मिला, यह उनकी विशेष और व्यक्तिगत जानकारी में था। वे अभियोजन पक्ष के मामले को गलत साबित करने के लिए तथ्यों का खुलासा कर सकते थे कि उन्होंने बिंदुला देवी की हत्या की थी। वे उस बोझ का निर्वहन करने में विफल रहे जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उन पर स्थानांतरित हो गया था। अभियोजन पक्ष से यह बताने की उम्मीद नहीं है कि मृतक की हत्या किस तरीके से की गई थी। अभियुक्तों के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है क्योंकि वे यह समझाने में विफल रहे कि मृतक कैसे एक फुट गहरे पानी में नदी में मृत पाया गया था।

32. इसके अलावा, इस संबंध में तुलशीराम सहदु सूर्यवंशी और अब्र बनाम महाराष्ट्र राज्य में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाए, जो (2012) 10 एस. सी. सी. 373 में पैराग्राफ 22 में दिया गया था।

"22. अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि संबंधित समय पर मृतक तीनों अभियुक्तों के साथ रह रहा था। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी, उनके बेटे ए-3 और मृतक घर के एकमात्र निवासी थे और इसलिए, अपीलार्थी पर यह दायित्व था कि वे अपने अपराध के बारे में किसी भी संदेह से बचने के लिए कुछ स्पष्टीकरण दें। ऊपर उल्लिखित सभी कारक निस्संदेह परिस्थितियाँ हैं जो एक प्रत्यक्षदर्शी के खाते से भी अधिक मजबूत एक श्रृंखला का गठन करती हैं और इसलिए, हमारी राय है कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि पूरी तरह से उचित है।"

33. यह न्यायालय अब उपरोक्त मुद्दों का उत्तर देने के लिए आगे बढ़ रहा है, गवाहों की गवाही को निम्नानुसार संदर्भित करना उचित और उचित समझता है:

(i) पीडब्लू-1 भुनेश्वर साव स्वयं मुखबिर हैं। उन्होंने मुख्य परीक्षा में कहा कि संगीता देवी उनकी बेटी थीं, जिनकी शादी गाँव पहरा के संजय साओ से हुई थी। शादी के समय रु. 60,000/- नकद और बर्तन, कपड़े आदि जिनकी कीमत रु. 50,000/- दिए गए थे। शादी के बाद उनकी बेटी ससुराल चली गई थी। उनके दामाद और पिता और दामाद की मां उनकी बेटी से मोटरसाइकिल की मांग करते थे। वह मोटरसाइकिल नहीं दे सकता था और इसी वजह से वे उसकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। शादी के 20 दिनों के बाद उसका दामाद उसके घर पहुंचा और बताया कि उसकी बेटी भाग गई है। उसने चार दिन तक अपनी बेटी की तलाश की लेकिन वह उसका पता नहीं लगा सका। चार दिन बाद उसके दामाद ने बताया कि लड़की कुएं में डूब गई है। इस सूचना पर वह अपनी बेटी के वैवाहिक घर पहुंचा और देखा कि उसकी बेटी का शव तेजाब से जल गया था और शव से बदबू आ रही थी। गवाह ने आगे कहा कि उसके दामाद और दामाद की मां और पिता ने उसकी बेटी को मारने के बाद उसे कुएं में फेंक दिया था। सुरेश साव द्वारा लिखित आवेदन उनके निर्देश पर लिखा गया है और सामग्री सुनने के बाद उन्होंने अपने अंगूठे का निशान दिया था। लिखित आवेदन को पूर्व-1 के रूप में चिह्नित किया गया है। गवाह ने उन अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की थी जो कठघरे में खड़े थे।

जिरह में उसने कहा कि लड़की ने उसे मोटरसाइकिल की मांग के बारे में सूचित किया था। उसे मोटरसाइकिल की मांग की तारीख याद नहीं है लेकिन तीन बार मांग की गई थी। उन्होंने मध्यस्थ महेंद्र यादव को संजय साव द्वारा दी

जाने वाली यातना के बारे में सूचित किया, जिसमें तेजाब जलाना भी शामिल था, लेकिन उन्होंने लिखित आवेदन में इसका उल्लेख नहीं किया था। गवाह इस बात से इनकार करता है कि दहेज की कभी मांग नहीं की जाती है।

(ii) पीडब्लू-2 गुलाब साव मृतक के चाचा होते हैं। उन्होंने मुख्य परीक्षा में कहा कि उनकी भतीजी की शादी गाँव पहरा के संजय साओ के साथ हुई थी। रु. 60,000/- रुपये की नकद और आभूषण वस्तुएँ रु.50,000/- मूल्य के विवाह में दिए गए थे। शादी के बाद उनकी भतीजी ससुराल चली गई। 10-15 दिनों के बाद उन्हें पता चला कि एक मोटरसाइकिल की मांग की गई थी। उनके भाई ने इस मांग को पूरा नहीं किया था। संजय साव लगभग 4 बजे आई. डी. 1 पर उनके ससुराल पहुंचे और कहा कि संगीता घर से भाग गई है। उन्होंने संगीता की तलाश की। चार दिन बाद संजय साओ ने बताया कि एक लड़की का शव कुएं में पड़ा है। उसी सूचना पर वह कुछ लोगों के साथ पहरा गाँव पहुँचा और चाथू साव के दरवाजे पर लड़की का शव देखा। शव जला दिया गया था और जला दिया गया था और शव से बदबू आ रही थी।

जिरह में गवाह ने गवाही दी कि उसने अपने चचेरे भाई से मोटरसाइकिल की मांग के बारे में सुना था। गवाह अभियुक्त के इस सुझाव से इनकार करता है कि उसने झूठा बयान दिया था

(iii) पीडब्लू-3 डॉ. अनवर इकराम ने मुख्य परीक्षा में कहा कि उन्हें हजारीबाग के सदर अस्पताल में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। उस दिन सिविल सर्जन, हजारीबाग के आदेश पर डॉ. गोपाल और डॉ. राजेश गोप और स्वयं सहित तीन डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम ने लगभग 19 वर्षीय संगीता देवी के शव का पोस्टमार्टम किया था। चौकीदार 312 नरेश राम और भुनेश्वर साव द्वारा शव लाया गया था। उन्होंने निम्नलिखित पाया—

I:-बायीं आँख बाहर निकल गई थी, दाहिनी आँख बंद थी, मुँह खुला था और जीभ बाहर निकली हुई थी। ऊपरी और निचले दोनों अंगों में अकड़न अनुपस्थित थी।

II:-मल पदार्थ गुदा से निकलता है। पूरा शरीर जल गया था, बहुत सड़ गया था। चेहरे को अवरुद्ध करना। कई स्थानों पर त्वचा पर धब्बा लगा हुआ था।

#### **बाह्य परीक्षा: -**

गर्दन के विच्छेदन पर:-स्वरयंत्र के ऊपर दिखाई देने वाला हीमोटोमा, कार्निअल कार्टिडेज का फ्रैक्चर, गर्दन के पदार्थ ऊतक का जमाव। स्वरयंत्र की ओस्टिनल दीवार का जमाव, गर्दन की मांसपेशियों पर हीमोटोमा, हृदय के दाहिने

तरफ रक्त का थक्का, बाएं कक्ष का उत्सर्जक। दोनों अंग सिकुड़ने की अवस्था और अक्षत थे। यकृत, प्लीहा भीड़भाड़ और आंशिक रूप से विघटित। पेट गैस से भरा हुआ था और इसमें श्लेष्म द्रव था पेट की दीवार सामान्य थी। मूत्राशय खाली था, गर्भाशय सामान्य था। मौत का कारण गला घोटने के कारण दम घुटना था। एफ. एस. एल. के लिए विसरा को अत्यधिक संतृप्त लवण में संरक्षित किया गया था।

#### विसरा का नाम -

हृदय, फेफड़े, यकृत, प्लीहा, एक गुर्दा और पेट का एक हिस्सा अपनी सामग्री के साथ। मृत्यु के बाद का समय 48 से 72 घंटे। गवाह ने आगे कहा कि यह रिपोर्ट उसके द्वारा लिखी और तैयार की गई है और उस पर उसकी कलम और हस्ताक्षर हैं और बोर्ड के सदस्य डॉ. गोपाल दास और डॉ. राजेश गोप के हस्ताक्षर भी हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को एक्स-2 के रूप में चिह्नित किया गया है।

गवाह ने जिरह में कहा कि उसने मृतक के साथ भुनेश्वर के संबंध का उल्लेख नहीं किया था। समय बीतने के कारण शव सड़ गया था। उन्हें तेजाब से कोई चोट नहीं लगी है। गवाह बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार करता है कि उसकी रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है।

- (iv) पीडब्लू-4 महावीर प्रसाद साहू ने मुख्य परीक्षा में कहा कि घटना 14.04.2011 की शाम को हुई थी। भुनेश्वर साहू को फोन आया कि उनकी बेटी का शव एक कुएं में मिला है। उस सूचना पर वह गुलाब साओ और केरेदारी के 10 अन्य लोगों के साथ केरेदारी पुलिस स्टेशन गया। इसके बाद वे छोटा बाबू के साथ गाँव पहरा गए। उन्होंने चाथू साओ के घर के सामने संगीता साओ का शव देखा। पुलिस मृत शरीर को चाथू साओ और उसकी पत्नी और बेटे के साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। संगीता का विवाह आई. डी. 1 को संजय देवी के साथ संपन्न हुआ। 09.04.2011 पर संगीता के पिता उनके पास आए और कहा कि दहेज के लिए मेरे दामाद के साथ मेरी बेटी का विवाद था। उन्होंने वैवाहिक घर जाने का अनुरोध किया था। यात्रा की योजना के दौरान यह घटना हुई है। गवाह ने उन अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की जो गोदी में खड़े थे। जब उन्होंने उस समय संगीता देवी का शव देखा तो उनका शरीर सूज गया था और जलता हुआ दिखाई दे रहा था।

जिरह में उन्होंने कहा कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों के बारे में पुलिस के सामने कुछ नहीं कहा है। मनोज साव, कामेश्वर साव, बनरसी साव, सुगिया देवी, सुरेश साव,



राज किशोर यादव भी उनके साथ गाँव पहरा गए थे और वे रात के लगभग 8 से 9 बजे पहुँचे।

- (v) पीडब्लू-5 सक्केद्र साव ने जाँच-इन-चीफ में कहा कि इस घटना के एक महीने पहले ही गाँव पहरा के संजय साव के साथ संगीता की शादी संपन्न हो गई थी। उन्हें पता चला कि लड़की का शव कुएं से निकाला गया है। इसके बाद वे गाँव गए और चतुहु साव के घर के बगल में लड़की का शव देखा। शव सूज गया था। अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था और वह अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सुझाव से इनकार करता है। जिरह में गवाह ने गवाही दी कि रु. 60,000/- नकद और बर्तन उनकी उपस्थिति में नहीं दिए गए थे। वह शादी से पहले और शादी के बाद गाँव पहरा गया था लेकिन वह संगीता के घर नहीं गया था। गवाह ने बचाव पक्ष के इस सुझाव का खंडन किया कि उसने शव देखा था।
- (vi) पीडब्लू-6 सुरेश साओ ने मुख्य परीक्षा में कहा कि संगीता देवी भुनेश्वर साओ की बेटा हैं। संगीता की शादी संजय साव के साथ 8.03.11 पर संपन्न हुई थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल गई जहाँ उसने ठीक से दिन बिताए। संजय साव मोटरसाइकिल की मांग करता है लेकिन उसके पिता ने मांग पूरी नहीं की है। 14.04.11 पर भुनेश्वर साव को टेलीफोन से जानकारी मिली कि उनकी बेटा का शव कुएं से बरामद किया गया है। उस सूचना पर वे लड़की के वैवाहिक घर गए। संगीता के शव को दरवाजे के सामने रखा गया था। उसने शरीर पर निशान देखे थे। शरीर से बदबू भी आ रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे मारे जाने के बाद कुएं में फेंक दिया गया था। मोटरसाइकिल की उचित मांग को पूरा न करने के कारण उसके वैवाहिक घर के सदस्यों द्वारा हत्या की गई थी।

पैरा-4 की प्रतिपरीक्षा में गवाह ने गवाही दी कि मोटरसाइकिल की मांग के बारे में भुनेश्वर साव ने उसे बताया और उसे मौत के बारे में भी सूचित किया।

- (vii) पीडब्लू-7 कामेश्वर साहू ने जाँच-इन-चीफ में कहा कि घटना 6-7 महीने पहले हुई थी। संगीता देवी उनके मामा की बेटा थीं। उनकी शादी संजय साओ से हुई और शादी के बाद वह अपने ससुराल चली गईं। शादी के समय रु. 60,000/- नकद और अन्य सामान दिए गए। उनके ग्रामीण बंधन साव ने संगीता देवी की मृत्यु के बारे में बताया। संगीता का नटाल घर पहरा में है जहाँ से वे टेंपो से केरेदारी पुलिस स्टेशन गए और उसके बाद वे संजय साओ के घर गए। उन्होंने दरवाजे पर शव देखा। शरीर का रंग काला था। ऐसा

प्रतीत होता है कि शव को पानी से निकाला गया था। संजय साओ ने अपने ससुर को सूचित किया कि लड़की किसी के साथ भाग गई है। यह जानकारी घटना के दो-तीन दिन पहले दी गई है। भुनेश्वर साव ने खोज शुरू की लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। जिरह में गवाह ने गवाही दी कि उसकी उपस्थिति में दहेज की मांग नहीं की गई थी। गवाह ने बचाव के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि उसने अपने मामा के निर्देश पर गवाही दी थी।

- (viii) पीडब्लू-8 बनवारी साओ ने जाँच-इन-चीफ में कहा कि घटना डेढ़ साल पहले गाँव पहरा में लगभग शाम 7 से 8 बजे हुई थी। भुनेश्वर साव ने उन्हें बताया कि उनके दामाद, पिता और दामाद की मां ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। उस सूचना पर वह गाँव पहरा और केरादरी पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने दरवाजे पर भुनेश्वर की बेटी का शव देखा था। शव का चेहरा जल गया था। ऐसा लगा कि चेहरा तेजाब आदि से जल गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। गवाह ने आगे कहा कि घटना के 4 से 5 दिन पहले भुनेश्वर साव ने कहा कि उसकी बेटी के वैवाहिक घर के सदस्य ने दहेज की मांग की थी और वे विवाद में थे और दामाद ने उसे सूचित किया कि लड़की भाग गई है। यह घटना चार दिन बाद हुई।

प्रतिपरीक्षा में पैरा-7 में गवाही देने वाले गवाह को दहेज की मांग के बारे में भुनेश्वर से पता चला। उन्होंने पैरा-10 में आगे कहा कि लड़की लापता है। उसे नहीं पता कि शव कहाँ मिला था। उसने दरवाजे पर शव देखा।

- (ix) पीडब्लू-9 मनोज कुमार यादव ने मुख्य परीक्षा में कहा कि वैवाहिक घर के सदस्य ने लड़की की हत्या कर दी थी। वे पहरा गए थे और भुनेश्वर की बेटी का शव देखा था। वह 12 लोगों के साथ गाँव पहरा गया था।

जिरह के पैरा-5 में गवाह ने गवाही दी कि उसने शव देखा था लेकिन उसकी उपस्थिति में हत्या नहीं की गई है। गवाह बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार करता है कि उसने मुखबिर के प्रभाव में पदच्युत किया था।

- (x) पीडब्लू-10 सुगिया देवी, मृतक संगीता देवी की माँ होती हैं। उसने परीक्षा प्रमुख में कहा कि संगीता देवी उसकी बेटी है जिसकी शादी चार साल पहले संजय से हुई थी। शादी के बाद उनकी बेटी ससुराल चली गई। वह वहाँ एक महीने तक रही और फिर

संजय साव, चाथू साव और संगीता देवी ने अपनी बेटी से मोटरसाइकिल की मांग करना शुरू कर दिया। उन्होंने देने में असमर्थता व्यक्त की थी, फिर आरोपी व्यक्तियों ने तेजाब लगाने के बाद उसकी बेटी की हत्या कर दी। सूचना पर उसके परिवार के सदस्य वहां गए। वह वहाँ नहीं गया था। पार्थिव शरीर को यहां लाने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शव जला हुआ है।

जिरह के पैरा-2 में गवाह ने गवाही दी कि आरोपी व्यक्तियों ने शादी के एक महीने बाद उसकी बेटी की हत्या कर दी। अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी बेटी से हीरो-होंडा मोटरसाइकिल की मांग की। एक महीने से उसकी बेटी अपने घर नहीं आई थी। गवाह ने पैरा-6 में गवाही दी कि उसकी बेटी को खुशी से नहीं रखा गया था और आरोपी व्यक्तियों ने हीरो-होंडा मोटरसाइकिल की मांग को पूरा नहीं करने के कारण उसकी बेटी की हत्या कर दी थी।

- (xi) पीडब्लू-11 बंधु साव ने जाँच में मुख्य रूप से कहा कि संगीता देवी भुनेश्वर साव की बेटी हैं। उनकी शादी तीन से चार साल पहले हुई थी। विवाह के बाद संगीता अपने ससुराल गई और विवाह के तीन-चार महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु कैसे हुई, वह नहीं जानता। ग्रामीणों ने उसे बताया कि उसे तेजाब डालकर जला दिया गया था। उसे नहीं पता कि एसिड क्यों लगाया जाता है। इस गवाह को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सुझाव को अस्वीकार कर दिया है।

अभियुक्त की ओर से जिरह में गवाह ने गवाही दी कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसने स्वेच्छा से गवाही दी।

- (xi) पीडब्लू-12 जयेश्वर सिंह इस मामले के आई. ओ. हैं। उन्होंने जाँच प्रमुख में कहा कि 14.04.11 पर उन्हें केरेदारी पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया था। केरेदारी पी. एस. मामला सं. 15/11 भुनेश्वर साव के लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया था और उन्हें स्वयं जांच का प्रभार मिला था। औपचारिक एफ. आई. आर. में सिपाही दिनेश सिंह का लिखित उल्लेख है और उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। औपचारिक एफ. आई. आर. को एक्स-3 के रूप में चिह्नित किया गया है। गवाह ने आगे कहा कि औपचारिक एफ. आई. आर. पर टिप्पणी और हस्ताक्षर करने पर उसका लेखन और हस्ताक्षर होता है। नोट को पूर्व-1/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। जाँच का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मुखबिर का बयान फिर से दर्ज किया और उसके बाद वह पी. ओ. के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पी. ओ. में संगीता देवी के शव की जांच रिपोर्ट तैयार की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध कांस्टेबल राम लगान के लिखित रूप में किया जाता है और उस पर उनके हस्ताक्षर भी होते हैं। इस लिखित अनुरोध को एक्स-4 के रूप में चिह्नित किया गया है। गवाह ने आगे कहा कि उसके बाद उसने गुलाब साव, मनोज साव, बनवारी साव,

महावीर प्रसाद का बयान दर्ज किया। इस घटना का पहला पी. ओ. संजय साव का घर है। पी. ओ. के पूर्व की ओर लखो साव का घर है, पश्चिम की ओर भैरो सोआ का निर्माणाधीन घर है, उत्तर की ओर बोले साव का पक्का घर है और दक्षिण की ओर सड़क है और उसके बाद कुडू साव का घर है। गवाह ने आगे कहा कि गवाह राज किशोर यादव, समेंदर साओ, सुरेश साओ, सुगिया देवी ने उनकी उपस्थिति में घटना का समर्थन किया। गवाह ने आगे कहा कि इस घटना का दूसरा पी. ओ. पहरा गाँव से लगभग 1/4 कि. मी. दूर स्थित कुआँ है। के. एम. के बाद पूर्वी गाँव जानीरा में दूसरे पी. ओ. की सीमा, पश्चिमी गाँव चोटकी हवाई के दक्षिण गाँव पहरा में। उन्होंने संजय साव, चाथू साव और गीता देवी के बचाव पक्ष का बयान दर्ज किया और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उन्होंने आरोपी संजय साव, चाथू साव और गीता देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (बी) और 201/34 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

पैरा-18 की प्रतिपरीक्षा में गवाह ने गवाही दी कि किसी भी गवाह ने उसके सामने दहेज की मांग की तारीख, समय और वर्ष नहीं बताया। गवाह ने यह भी नहीं बताया कि घटना से कितने दिन पहले दहेज की मांग की गई थी। सूचना देने वाले के अनुसार घटना 10.04.11 की रात में होती है और 14.04.11 पर 10:50 पर पोस्टमॉर्टम किया जाता है और डॉक्टर ने 48-72 घंटों के भीतर मृत्यु के समय का आकलन किया। उन्होंने मृत्यु के 72 से 96 घंटों के बीच जांच शुरू की क्योंकि 14.04.11 पर लिखित आवेदन जमा किया गया था। जाँच के दौरान उन्होंने लखो साओ और लखन साओ का बयान दर्ज नहीं किया है। गवाह अभियुक्त के इस सुझाव से इनकार करता है कि जाँच ठीक से नहीं की गई है।

एक्स-2 संगीता देवी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट है और उसी के अवलोकन पर यह पता चलता है कि मेडिकल टीम ने गला घोटने के कारण दम घुटने से मौत का कारण देखा। मेडिकल टीम ने यह भी पाया कि पूरा शरीर काला और अत्यधिक सड़ चुका था और मृत्यु के बाद से 48 से 72 घंटे का समय है और तीन डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड द्वारा 15.04.11 पर पोस्टमॉर्टम किया गया था।

34. यह स्वीकार किया जाना है कि इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जैसा कि गवाहों की गवाही से स्पष्ट होगा यदि एक साथ लिया जाए। पी. डब्ल्यू. 1 जो मृतक का पिता है और जिसने बताया कि उसका दामाद और पिता और दामाद की माँ उसकी बेटी से मोटरसाइकिल की मांग करते थे। वह मोटरसाइकिल नहीं दे सकता था और इसी वजह से वे उसकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। शादी के 20 दिनों के बाद उसका दामाद उसके घर पहुंचा और बताया कि उसकी बेटी भाग गई है। उसने चार दिन तक अपनी बेटी की तलाश की लेकिन वह उसका पता नहीं लगा सका। चार दिन बाद उनके दामाद ने बताया कि मुखबिर की बेटी कुएं में डूब गई थी। इस सूचना पर वह अपनी बेटी के वैवाहिक घर पहुंचा और देखा कि उसकी बेटी का शव तेजाब से जल गया था और शव से बदबू आ रही थी।

35. पी.डब्ल्यू.-2 मृतक का चाचा है जिसने अपदस्थ कर दिया है कि शादी के बाद उसकी भतीजी उसके ससुराल गई थी। 10-15 दिनों के बाद उन्हें पता चला कि एक मोटरसाइकिल की मांग की गई थी। उनके भाई ने इस मांग को पूरा नहीं किया था। संजय साव लगभग 4 बजे आई. डी. 1 पर उनके ससुराल पहुंचे और कहा कि संगीता घर से भाग गई है। उन्होंने संगीता की तलाश की। चार दिन बाद संजय साओ ने बताया कि एक लड़की का शव कुएं में पड़ा है। उसी सूचना पर वे लगभग 10-11 लोगों के साथ गाँव पहरा पहुंचे और चाथू साव के दरवाजे पर लड़की का शव देखा। शव जला दिया गया था और जला दिया गया था और शव से बदबू आ रही थी।

36. इस प्रकार, पी. डब्ल्यू. 1 और 2 की गवाही से यह स्पष्ट है कि मोटर-साइकिल के रूप में दहेज की मांग की गई थी और उसके तुरंत बाद मृतक का शव कुएं में जली हुई स्थिति में पाया गया और यह आगे स्पष्ट है कि उक्त कुआं आरोपी व्यक्ति के घर के आसपास स्थित था। बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक के पति ने अपनी त्वचा को बचाने के लिए गलत तरीके से कहा है कि मृतक घर से भाग गया था, लेकिन पति ने इस संबंध में कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी।

37. मृतक की मृत्यु की सूचना सूचना देने वाले को गाँव-पहरा के एक ग्रामीण ने टेलीफोन पर 14.04.2011 पर जानकारी दी कि उसकी बेटी का शव कुएं में पड़ा है और फिर उसे पता चला कि उसकी बेटी का शव कुएं से निकाला गया है और उसे चाथू साव के घर में रखा गया है। गवाही के उपरोक्त संस्करण को अन्य गवाहों द्वारा पूरी तरह से प्रमाणित किया गया है।

38. आई. डी. 1 और अन्य गवाह की गवाही से आगे यह प्रतीत होता है कि दहेज की मांग मृतक के दामाद, सास और ससुर द्वारा की गई थी और जब यह पूरा नहीं हुआ तो मृतक को गंभीर यातना दी गई थी। पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा यह खुलासा किया गया है कि शादी के 20 दिन बीतने के तुरंत बाद, दामाद ने सूचित किया है कि बेटी भाग गई है और उसके बाद, मृतक की चार दिनों तक तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन जब गाँव-पहरा के ग्रामीणों द्वारा उसकी बेटी के वैवाहिक घर ले जाने पर सूचित किया गया तो जला हुआ शव तेजाब से जला हुआ पाया गया।

39. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार और गवाहों की गवाही के अनुसार, अपीलार्थी, पति द्वारा मृतक को बिना किसी निशान के बताया गया था, लेकिन कोई गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड पर साक्ष्य में कुछ भी नहीं आया है। इसके अलावा, मृतक को चार दिन बाद एक कुएं से पाया गया, वह भी गाँव-पहरा के स्थानीय ग्रामीण द्वारा मृतक के पिता को दी गई जानकारी पर।

40. यहाँ प्रश्न यह है कि जब अपीलार्थी की ओर से दोनों अपीलों से इनकार नहीं किया जाता है कि मृतक वैवाहिक घर में नहीं था, बल्कि यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतक वैवाहिक घर में था और यही कारण है कि अपीलार्थी, पति ने मृतक के पिता को उसके लापता होने के बारे में सूचित किया, भले ही शव कुएं में पाया गया था जो घर के बगल में है, उसे गाँव-पहरा के स्थानीय ग्रामीण ने सूचना देने वाले को सूचित किया था।

41. शव का पोस्टमार्टम किया गया और शव गंभीर रूप से क्षत-विक्षत अवस्था में पाया गया और मौत का कारण दम घुटना बताया गया है क्योंकि गर्दन पर गला घोटने के निशान थे।

42. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध दिखाया गया है और चिकित्सा न्यायशास्त्र के अनुसार संबंधित व्यक्ति की जीभ का गला घोटने के मामले में सामने आता है जिसे चिकित्सा शब्द में "फैला हुआ" कहा जाता है।

43. इस न्यायालय ने जीभ के बाहर निकलने के बारे में तथ्य पर विचार किया है, यानी कि किस परिस्थिति में यह मोदी, ए टेक्स्टबुक ऑफ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे उद्धृत किया गया है:

*"(बी)। श्वासावरोध के कारण उपस्थिति: चेहरा पीला या गूंगा हो सकता है। आँखें खुली होती हैं, नेत्रगोलक प्रमुख होते हैं, और नेत्रक्षेपमला सिफुडने की अवस्था में होती है और कभी-कभी पेटिकियल रक्तस्राव होता है। होंठ चमकीले होते हैं, और जीभ कभी-कभी बाहर निकल जाती है। मुँह और नासिका से झाग निकलता है। त्वचा अंगों की जीवंतता के साथ एकसमान एक्किमोसिस दिखाती है। टिम्पेनम का टूटना श्वसन के हिंसक प्रयास से हो सकता है।"*

44. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि जिस जीभ को फैला हुआ पाया गया है, वह भी इस तथ्य का संकेत है कि हत्या वहां हुई है।

45. मृतक का शव उसके वैवाहिक घर के ठीक बगल में एक कुएं में पाया गया है, इसलिए, यह अपीलार्थियों की जिम्मेदारी है कि वे कारण का खुलासा करें कि मृत्यु कैसे हुई। इसमें, अपीलार्थियों का आचरण बहुत संदिग्ध है कि भले ही बहू लापता थी लेकिन कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं है।

46. बचाव में कहा गया है कि कुएं में गिरने से मौत हुई है तो सवाल यह है कि डॉक्टर ने मौत का कारण एस्फिक्सिया कैसे बताया लेकिन उस प्रभाव का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

47. आई. पी. सी. की धारा 304बी के तहत दोषसिद्धि का निर्णय पारित करने के लिए धारा 304बी का घटक होना आवश्यक है।

48. तथ्यात्मक पहलू की जांच करने पर हमने पाया है कि दहेज की मांग सात साल की अवधि के भीतर है। गवाहों द्वारा दहेज की मांग को भी खारिज कर दिया गया है, इसलिए आई. पी. सी. की धारा 304बी के सभी घटक, जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, अच्छी तरह से लागू हैं।

49. इस मामले के उस दृष्टिकोण में, इस न्यायालय का विचार है कि जब आई. पी. सी. की धारा 304 बी का घटक अच्छी तरह से आकर्षित है और मृत्यु वैवाहिक घर में हुई है क्योंकि मृतक का शव कुएं में पाया गया है जो घर के बगल में है और ऐसा नहीं है कि मृत्यु कुएं में गिरने के कारण हुई है, बल्कि मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया दिखाया गया है जिसे डॉक्टर ने अपनी राय में एंटीमॉर्टम पाया है।

50. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यदि ऐसी परिस्थितियों में धारा 113बी को दोषसिद्धि का निर्णय पारित करते समय लागू किया गया है, तो इसे त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है। धारा 113बी के घटक को केवल तभी लागू कहा जाता है जब दहेज की मांग वैवाहिक घर के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती है।

51. हमने उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू की जांच की है कि क्या दहेज की मांग केवल मृतक के पति द्वारा की जाती है या ससुर और सास द्वारा भी की जाती है।

52. इस न्यायालय ने पीडब्लू-1 की गवाही के आधार पर पाया है कि दहेज की मांग आपराधिक अपील (खंडपीठ) सं. 1689/2017 के अपीलार्थी दामाद और आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 1373/2016 के अपीलार्थी मृतक की सास और ससुर द्वारा की जाती है, इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि दहेज की मांग सभी अपीलार्थियों द्वारा की गई है, इसलिए, धारा 113बी का घटक इसमें सभी अपीलार्थियों के संबंध में अच्छी तरह से लागू होता है।

53. इस न्यायालय ने गवाहों की गवाही को देखते हुए कहीं भी यह नहीं पाया है कि सास और ससुर [आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 1373/2016 के अपीलार्थी] आपराधिक अपील (खंडपीठ) सं. 1689/2017 के अपीलार्थी और उनकी मृत पत्नी से अलग रह रहे थे, इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी 2016 की आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 1373 के अपीलार्थियों पर समान रूप से लागू होती है।

54. इस न्यायालय का, ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता में, और इसमें आक्षेपित निर्णय पर आते हुए, यह विचार है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही को ध्यान में रखते हुए मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार किया है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आई. पी. सी. की धारा 304 बी के सभी घटक अच्छी तरह से लागू होते हैं, इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के प्रावधान को लागू किया जाता है, इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि विवादित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।

55. तदनुसार, दोनों अपील विफल हो जाती हैं और खारिज हो जाती हैं।

56. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

57. श्री हेमंत कुमार शिकारवार, सी. आर. के अपीलार्थियों के विद्वान वकील। अपील (डी.बी.) संख्या 1373/2016 ने वैकल्पिक तर्क के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त अपील के दोनों अपीलार्थी वरिष्ठ नागरिक हैं और घटना के समय उनकी आयु क्रमशः लगभग 50 वर्ष और 57 वर्ष थी और अब उनकी आयु क्रमशः लगभग 63 और 70 वर्ष है, इसलिए उनकी आयु को देखते हुए, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई 10 वर्ष की सजा को घटाकर न्यूनतम, यानी 07 वर्ष किया जा सकता है, जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 304 (बी) के तहत प्रावधान किया गया है।

58. इस संबंध में विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक की ओर से कोई विरोध नहीं है।

59. यह न्यायालय, उपरोक्त निवेदन पर विचार करने और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 1373/2016 के दोनों अपीलार्थी वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी आयु क्रमशः लगभग 63 और 70 वर्ष है, इसलिए यह न्यायालय आई. पी. सी. की धारा 304 (बी)/34 के तहत दी गई सजा को 10 वर्ष से घटाकर 07 वर्ष करना उचित और सही समझता है क्योंकि धारा 304 (बी) के तहत न्यूनतम सजा 07 वर्ष तक है।

60. तदनुसार, आई. पी. सी. की धारा 304 (बी)/34 के तहत आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 1373/2016 के अपीलार्थियों को दी गई सजा को इसके द्वारा संशोधित किया गया है और इसे 10 वर्ष से घटाकर 07 वर्ष कर दिया गया है।

61. चूंकि, आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 1373/2016 के अपीलार्थी जमानत पर हैं उन्हें निर्णय पारित होने के 10 दिनों के भीतर विद्वत निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है ताकि शेष सजा पूरी की जा सके, यदि पहले से सजा पूरी नहीं की गई है।

62. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलकर्ता निर्धारित समय के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो निचली अदालत कानून के अनुसार कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है।

63. इस आदेश/निर्णय को निचली अदालत के अभिलेखों के साथ संबंधित अदालत को तुरंत सूचित किया जाए।

(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)

मैं सहमत हूँ

(न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)

(न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक: 20/02/2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।